न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एफ.टी.सी.–।।, गाजीपुर

दण्डवाद सं0 03/2020

राज्य – प्रति – मु0 सलाम खॉ

दिनांक : 07.12.2021 **पी.डब्ल्यू –1**

मैं **सुनील कुमार तिवारी पुत्र श्री गणेश प्रसाद तिवारी**, उम्र लगभग 32 वर्ष, हाल तैनाती पुलिस लाईन, गाजीपुर, शपथ पूर्वक बयान करता हूॅ कि दिनांक 30.10.2019 को मैं उपनिरीक्षक के पद पर थाना जमानियां में तैनात था। उस दिन मेरे साथ हमराही कां0 दिव्येंदु, कां0 मंगल यादव, के साथ शान्ति व्यवस्था क्षेत्र में मामूर थे जरिये मुखबिर खास सूचना मिली कि एक व्यक्ति हाथ में लाल झोला में गांजा लेकर दरौली से रामपुर फुफुआव के तरफ जा रहा है। मुखबिर के सूचना पर विश्वास कर मैं और हमराहीगण मकसद से अवगत कराते हुए मुखबिर के साथ दरौली से रामपुर फुफुआव जाने वाली रोड के नहर के पुलिया के पास गुमटी के पीछे छीप कर उक्त व्यक्ति का इन्तेजार करने लगे कि एक व्यक्ति हाथ में लाल झोला लेकर आता दिखाई दिया। जिसे मुखबिर ने इशारा कर के बताया व पीछे मुड़ कर चला गया। कि उक्त व्यक्ति के पास आने पर मैं और हमराही अचानक से सामने आकर नहर पुलिया दरौली के पास उक्त व्यक्ति को पकड़ लिया गया। व उसका नाम पता पुछा गया उसने अपना नाम मो0 सलाम खॉ पुत्र स्व0 इलियास निवासी रामपुर फुफुआव थाना जमानिया जिला गाजीपुर उम्र 45 वर्ष बताया। पकड़े गये व्यक्ति से उसके दाहिने हाथ में लिये लाल झोले के बारे में पूछा गया तो उसने बताया कि इसमें गांजा है जिसे मैं बेचने के लिए ले जा रहा था। मुझ उपनिरीक्षक द्वारा पकड़े गये व्यक्ति को एन.डी.पी.एस. एक्ट 50 के अन्तर्गत उसके अधिकारों को बताया गया तथा तलाशी हेतु उसे किसी मजिस्ट्रेट या राज्य पत्रित अधिकारी के यहां होगा। तो उपरोक्त ने कहां कि साहब जब आप लोगों ने पकड़ ही लिया है तो हमें आप लोगों पर पूरा विश्वास है आप ही मेरा तलाशी ले लिजिए।

हम पुलिस वाले आपस में एक दुसरे की जामा तलाशी ले देकर कोई संदिग्ध वस्तु नहीं होने का विश्वास दिलाकर पकड़े गये उपरोक्त व्यक्ति से सहमति पत्र तैयार कर उसपर उसका हस्ताक्षर बनवाकर उसके दाहिने हाथ में लिए हुए झोले में अखबारी कागज में रखा हुआ गांजा मिला जिसको कांस्टेबल मंगल यादव से दरौली चट्टी से इलेक्ट्रानिक तराजू मंगाकर तौला गया तो 01 किलो व 500 ग्राम नाजायज गांजा बरामद हुआ। जिसमें से 100 ग्राम बतौर नमूना निकाल कर शेष माल को उसी झोला में रखकर सर्व सील मोहर किया गया व नमूना मोहर तैयार किया गया व उपरोक्त व्यक्ति से गांजा रखने का अधिकार मांगा गया तो वह दिखाने में विफल रहा। तब उसको जुर्म धारा 8/20 एन.डी.पी.एस. एक्ट का अपराध बताकर समय 18:05 बजे हिरासत पुलिस लिया गया। दौरान गिरफ्तारी बहुत से लोग आ गये लेकिन गवाही के नाम पर हट बढ़ गये।

फर्द मौके पर मेरे द्वारा लिख पढ़ और सबको सुनाकर सबका हस्ताक्षर बनवाया गया व फर्द की एक कापी अभियुक्त को दी गयी। गिरफतारी की सूचना अभियुक्त की पत्नी अफसाना को दी गयी। फर्द शामिल पत्रावली कागज सं0 5अ फर्द पर गवाह ने अपने लेख वर्णन व हस्ताक्षर की तस्दीक किया। जिस पर प्रदर्श क1 डाला गया व अभियुक्त की सहमति पत्र शामिल पत्रावली 8अ को देख कर तस्दीक किया जिस पर प्रदर्श क2 डाला गया। इस घटना के संबंध में विवेचक ने मेरा बयान लिया है तथा मेरे ही निशान देही पर घटना स्थल का निरीक्षण किया था।

प्रतिपरीक्षा x x x x x x x x

इस घटना का रपट नं0 31 है तथा समय 16:55 बजे है। इस घटना से पहले हम लोगों द्वारा किसी अन्य व्यक्ति की कोई गिरफतारी या चालान नहीं किया गया था। मुखबिर मेरे पास आकर सूचना दिया था। मुखबिर ने मुल्जिम को पैदल जाने की बात बतायी थी किसी वाहन द्वारा जाने की बात नहीं बतायी थी। मुखबिर की सूचना मैंने लिपिबद्ध नहीं किया था न ही कोई मेमो बनाया था क्योंकि मुखबिर की सुरक्षा को खतरा पैदा होती है। घटना के बाद भी मेरे द्वारा कोई मुखबिरी मेमो नहीं बनाया गया था। मुल्जिम का सहमति पत्र तलाशी के पूर्व बनाया गया था। सहमति पत्र मेरे लेख में तैयार किया गया था जिस पर मुल्जिम का हस्ताक्षर है।

यह बात सही है कि सहमति पत्र प्रदर्श क2 पर मेरा या मेरे हमराहियों का कोई हस्ताक्षर नहीं है। मुल्जिम को तलाशी हेतु कोई लिखित नोटिस नहीं दी गयी थी। मुल्जिम को उसका क्या अधिकार बताया गया सहमति पत्र में अंकित नहीं है।

यह कहना गलत है कि मुल्जिम का सादे पन्नें पर हस्ताक्षर करा कर गलत तौर पर बाद में सहमति पत्र तैयार किया गया।

यह भी कहना गलत है कि सहमति पत्र तैयार होने के बाद मेरे संज्ञान में नहीं आया इसी लिए मेरा हस्ताक्षर छूट गया।

पुलिया जो घटना स्थल के पास वह दोनों तरफ के सड़क के उचांई पर है। पुलिया पर हम लोग दरौली मार्ग से पहुंचे थे। मुल्जिम को दरौली के तरफ से फुफुआव मार्ग पर जाना था। मुल्जिम हम लोग से 50 मीटर की दूरी पर था तब मुखबिर ने उसके तरफ इशारा कर पीछे मुड़ कर चला गया। जमानियां में सी.ओ जमानिया, एस.डी.एम. जमानिया, तहसीलदार व अन्य मजिस्ट्रेट का आवास है। हम लोग मुल्जिम को तलाशी हेतु किसी मजिस्ट्रेट या राजपत्रित अधिकारी के पास प्रस्तुत करने का प्रयास नहीं किया क्योंकि मुल्जिम ने हमलोगों को तलाशी की सहमति दे दी थी। इस पुलिया से दरौली चट्टी 300 मीटर दूरी पर है। इलेक्ट्रानिक तराजू वहीं से मंगाया गया था। कां0 मंगल यादव मोटर साइकिल से जाकर ले आये थे। तराजू लाने में 10 मिनट का समय लगा होगा। मुल्जिम की तलाशी के पहले निष्पक्ष साक्षी लेने के प्रयास का कोई उल्लेख फर्द बरामदगी में नहीं है।

आज माल मुकदमा मेरे सामने नहीं है। माल व नमूना मेरी सील से सील किया गया था जिस पर ''डी.एस.वाई. यू.पी.पी.'' अंकित था। नमूना मोहर एक प्रति मे बनाया गया था। नमूना मोहर पर केवल मेरे हस्ताक्षर बने थे। आज पत्रावली में नमूना मोहर की कोई प्रति उपलब्ध नहीं है।

यह कहना गलत है कि जैसा मैंने बयान दिया वैसी कोई तलाशी, बरामदगी व गिरफतारी नही हुई।

यह भी कहना गलत है कि खेत चराने के विवाद में विपक्षी पार्टी के इशारे पर इसे गलत मुकदमें चालान कर दिया गया है।

यह कहना सही है कि परीक्षण रिपोर्ट पत्रावली में अभी उपलब्ध नहीं है क्योंकि प्रयोगशाला से प्राप्त नहीं है।

सुनकर तस्दीक किया

बयान मेरे बोलने पर टाईप किया गया।